

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बाईस'

[ 3/3/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 1510 ]

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 03/03/2016  
श्री दुर्गालाल विजय

( तारांकित प्रश्न क्रमांक रु. 1510 )

परिशिष्ट

प्रश्नांक "क" में उल्लेखित उपकेंद्रों की स्थापना के तकनीकी रूप से असाध्य होने की जानकारी

क्र.	132/33 के.डी. उपकेंद्र का नाम	33 के.डी. फीडर का नाम एवं लंबाई	ग्राम का नाम जहाँ प्रस्तावित किया गया	वर्तमान में स्थापित उपकेंद्र	निर्मित 11 के.डी. फीडर	11 के.डी. फीडर पर भार (किलोवाट)	11 के.डी. फीडर की लंबाई	बोल्डज रीगुलेशन	टोप
1	बड़ौदा	बड़ौदा / 3 कि.मी.	आलापुरा	33/11 के.डी. बड़ौदा	15 के.डी. लुइख	180	16	7.50%	उपकेंद्र 11 के.डी. फीडर पर भार क्षमता के अनुरूप होने एवं बोल्डज पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण उपकेंद्र की स्थापना तकनीकी रूप से असाध्य है
2	बड़ौदा	बड़ौदा / 8 कि.मी.	महाबली	33/11 के.डी. जलियापुरा	11 के.डी. बसोद	185	6	7%	उपकेंद्र 11 के.डी. फीडर पर भार क्षमता के अनुरूप होने एवं बोल्डज पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण उपकेंद्र की स्थापना तकनीकी रूप से असाध्य है
3	बड़ौदा	सलामनिया / 15 कि.मी.	सारपुरा	33/11 के.डी. सलामनिया	11 के.डी. श्यापुरा	150	8	6.50%	उपकेंद्र 11 के.डी. फीडर पर भार क्षमता के अनुरूप होने एवं बोल्डज पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण उपकेंद्र की स्थापना तकनीकी रूप से असाध्य है
4	श्यापुरा	सोईकला / 50 कि.मी.	धीरोली	33/11 के.डी. श्यापुरा	11 के.डी. लालपुरा	195	30	8%	उपकेंद्र 11 के.डी. फीडर पर भार क्षमता के अनुरूप होने एवं बोल्डज पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण उपकेंद्र की स्थापना तकनीकी रूप से असाध्य है

*Shafiqul*  
अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

मोडल अधिकारी (विधानसभा)